

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371	वर्ष: 46	संख्या: 344	प्रभात	बीकानेर, रविवार 6 जुलाई, 2025	डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22	पृष्ठ 8	मूल्य 2.50 ₹.
---	----------	-------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	---------	---------------

उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे के पुनर्मिलन व एकता समारोह में कांग्रेस अनुपस्थित क्यों रही?

एन.सी.पी. की ओर से सुप्रिया सुले, वामपंथी दलों के नेता, किसान यूनियन के प्रतिनिधि, प्रोग्रेसिव बुद्धिजीवी व सिविल सोसायटी के एक्टिविस्ट भारी संख्या में मौजूद थे, इस समारोह में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जुलाई। शिवसेना के संस्थापक परिवार के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बहुप्रतीक्षित पुनर्मिलन ने महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन को हिला दिया है। इस घटनाक्रम ने राज्य में आशा और आशंका-दोनों को जन्म दिया है। जहां यह एकता पूरे महाराष्ट्र में एक मजबूत प्रतीकात्मक संदेश दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की इस कार्यक्रम से स्पष्ट दूरी ने महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के भीतर गहरे रणनीतिक समीकरणों और बढ़ती असहजता को उजागर कर दिया।
यह कार्यक्रम काफी धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक जगत के कई नेताओं और हस्तियों ने भाग लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले, वामपंथी दलों के नेता, प्रमुख किसान संगठनों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील शिक्षाविद और सामाजिक

- राजनीतिक टीकाकार, इस समारोह की तुलना 1950 के दशक के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से कर रहे हैं जिसकी इतिश्री नये राज्य, 1960 में महाराष्ट्र के जन्म होने के बाद हुई थी।
- राज ठाकरे ने अपनी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन उत्तर भारत के महाराष्ट्र में बसे लोगों के खिलाफ आक्रामक रुख को आधार बनाकर किया था। कांग्रेस, राज ठाकरे की उस छवि को स्वीकार नहीं कर पा रही, विशेषकर, अब जबकि उत्तर भारत में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तथा राज ठाकरे से गठबंधन को उत्तर भारत में समझाना आसान काम नहीं है। कांग्रेस उत्तर भारत में पुनः जीवित होने की महत्वाकांक्षा रखती है।
- साथ ही, अगर उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे में सच्ची मित्रता हो जाती है तो कांग्रेस के लिए भारी खतरा है, दोनों भाईयों की मित्रता से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नये पावर समीकरण बनेंगे। जिसमें, कांग्रेस का महत्व घटने की भारी संभावना है।

कार्यकर्ता दोनों चचेरे भाईयों के इस पुनर्मिलन के साक्षी बने। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस क्षण की तुलना 1९50 के दशक के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से की-एक ऐसा दौर जब क्षेत्रीय पहचान की मांग ने 1960 में आधुनिक महाराष्ट्र राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि, कांग्रेस पार्टी-जो एमवीए गठबंधन की एक अहम भागीदार है-इस आयोजन से दूर रही। पार्टी का कोई शीर्ष नेता इसमें शामिल नहीं हुआ और भीतर से मिले संकेत भी मिश्रित थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कांग्रेस की गैर मौजूदगी को महत्वहीन बताते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के साथ पार्टी के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस की अनुपस्थिति एक अलग कहानी बयां कर रही थी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पार्टी की यह झिझक राज ठाकरे की विवादास्पद राजनीतिक विरासत से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

5 साल की बच्ची से ज्यादाती के आरोपी को दस साल की सजा

जयपुर, 5 जुलाई। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब पांच साल की बच्ची के साथ ज्यादाती करने वाले अभियुक्त विमल कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी के.सी. अटवसिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल करीब पांच साल की बच्ची का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ ज्यादाती भी की। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा

■ **पाँक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने बालिका का अपहरण किया और ज्यादाती की।**

सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी, 2023 को पीड़िता अपने परिवार के साथ पड़ोसी के बेटे की शादी में गई थी। देर रात खेत से चिल्लाने की आवाज आई तो बालिका का पिता खेत पर पहुँचा तो वहां गांव के दो युवकों ने विमल को पकड़ रखा था। पृष्ठने पर बताया कि विमल उसकी पांच साल की बेटी को पास के सरसों के खेत में ले गया और ज्यादाती करने की कोशिश की। पीड़िता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘देखना मोदी चुपचाप गर्दन झुका कर ट्रंप की “डैड लाइन” स्वीकार कर लेंगे’

राहुल गांधी ने पीयूष गोयल की टिप्पणी पर कटाक्ष किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जुलाई। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई “रैसिप्रोकल टैरिफ” की समयसीमा के आगे “बिना किसी विरोध के झुक जाएंगे।”
राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और ट्रंप द्वारा तय की गई 9 जुलाई की डैड लाइन नजदीक आ रही है।

राहुल गांधी ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर आधारित एनडीटीवी की एक खबर साझा की। गोयल ने कहा था कि भारत किसी भी व्यापार समझौते को तब तक अंतिम रूप नहीं देगा जब तक वह समझौता निष्पक्ष न हो और राष्ट्रीय हित में न हो।

पोस्ट में लिखा: “पीयूष गोयल चाहे जितना भी सीना ठोक लें, मेरी बात लिखकर रख लीजिए-मोदी ट्रंप की

- **केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था, भारत, अमेरिका से वाणिज्य समझौता हस्ताक्षर करने की जल्दी में नहीं है तथा भारत समझौते पर हस्ताक्षर तभी करेगा, जब कि समझौता न्यायोचित तथा भारत के हित में होगा तथा भारत “डैड लाईन” के किसी दबाव को स्वीकार नहीं करता।**
- **राहुल ने कटाक्ष को गहरा करते हुए कहा, पीयूष गोयल कितना भी छाती ठोक लें, पर होगा यही कि मोदी ट्रंप की नई “डैड लाइन” चुपचाप विनम्रता से स्वीकार कर लेंगे।**

टैरिफ डैड लाइन के आगे बिना कोई विरोध किए चुपचाप झुक जाएंगे।”
भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर महीनों से बातचीत जारी है और अब यह अंतिम चरण में है। जिस समयसीमा की बात हो रही है, वह ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए रैसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित करने की अवधि है, जो 9 जुलाई के समाप्त हो रही है।
शुक्रवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने दोहराया कि भारत केवल तभी कोई व्यापार समझौता करेगा जब वह दोनों

पक्षों के लिए लाभकारी हो और उसमें राष्ट्रीय हितों की पूरी सुरक्षा हो।
गोयल ने कहा, “यह एक विन-विन (दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद) समझौता होना चाहिए, और केवल तब ही जब भारत के हित पूरी तरह सुरक्षित हों-राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा-और यदि इस दृष्टिकोण से कोई अच्छा समझौता बनता है, तो भारत विकसित देशों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।”

गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत के साथ-साथ यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, ओमान, चिली और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा विवाद को फिर से हवा दी

यूपी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर खान-पान की दुकानों के मालिकों को पहचान उजागर करने का आदेश दिया है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जुलाई। हिंदू भावनाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू-मुस्लिम विभाजन से राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति अपनाई है। यह यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है।
पिछले साल इसी तरह के आदेश को लेकर विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों द्वारा किए गए भारी विरोध के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यह अनिवार्य कर दिया है कि कांवड़ मार्ग पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठान अपना वैध खाद्य लाइसेंस और स्वामित्व विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
हालांकि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली

- गत वर्ष भी यूपी सरकार ने ऐसा ही आदेश दिया था, पर, भारी विरोध के कारण उस पर रोक लगा दी थी।
- यूपी के उपमुख्यमंत्री बुजेश पाठक ने कहा, हर खरीददार को यह जानने का हक है कि वह जिससे सामान खरीद रहा है, वह कौन है।
- विपक्षी नेताओं ने यूपी सरकार पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की राजनीति का आरोप लगाया। असदुद्दीन औवैसी ने कहा, इतने सालों से यात्रा शांति से चल रही थी, अब अचानक से क्या हो गया है।

खाद्य दुकानों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के आदेश को वापस ले लिया था, इस साल राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने खुले तौर पर इस आदेश को उचित ठहराया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बुजेश पाठक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि “हर खरीदार को यह जानने का अधिकार है कि वह किससे सामान

खरीद रहा है। यह नियम भी है। यदि उनसे नाम लिखने को कहा जा रहा है, तो इसमें क्या समस्या है?”
वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसा आदेश विवाद से बचने के लिए जारी किया गया है। “विभिन्न धर्मों की अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रोहित गोदारा के नाम पर 5 करोड़ की फिरोती मांगी

बीकानेर, 5 जुलाई (निर्स)। एक फाइनेंशियल कंपनी के सीईओ पीयूष श्रृंगारी से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया था। पुलिस ने सीईओ को सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही कॉल की छानबीन शुरू कर दी है। मामला जयनारायण व्यास थाने का है।

■ **एसपी ने फाइनेंशियल सर्विस के सीईओ की सुरक्षा में हथियार बंद पुलिस तैनात की।**

वैल्योनिफ फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ पीयूष श्रृंगारी ने पुलिस को इस मामले की शिकायत की। एसपी कावेन्द्र सिंह सागर के आदेश पर सीईओ के घर और आसपास बर्दी व सामान्य बर्दी में हथियारबंद पुलिस तैनात की गई है। सीईओ ने रिपोर्ट में बताया कि 2 जुलाई की शाम को उनके पास बॉट्सएणू कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नैशनल हैरल्ड को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, बेचने की नहीं’

कांग्रेस ने शनिवार को जवाब दिया कि पार्टी हैरल्ड की कम्पनी “एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड” (ए.जे.एल.) की सम्पत्ति नहीं बेचेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 जुलाई। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह नेशनल हैरल्ड को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, ना कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को बेचने की।
एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) का आरोप है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन नामक निजी कंपनी में 76 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी है, और इस कंपनी ने 90 करोड़ के ऋण के बदले एजेएल की संपत्तियों को धोखाधड़ी से अपने अधीन कर लिया।
वरिष्ठ अधिकता आर. एस. चीमा, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने शनिवार को कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) एजेएल की संपत्तियों को बेचने की नहीं, बल्कि उस संस्था को बचाने की कोशिश कर रही है, जो

- **सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील आर.एस. चीमा ने कहा, ए.जे.एल. की स्थापना 1937 में जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, रफी अहमद किदवाई आदि ने की थी। इस कम्पनी की आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी इसे बेचने के बजाय बचाने का प्रयास कर रही है।**
- **चीमा ने कहा, एजेएल के मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन में साफ लिखा है, कम्पनी की नीति ही कांग्रेस की नीति होगी। यह कम्पनी प्रॉफिट के लिए नहीं बनी थी।**
- **चीमा ने कहा, समस्या ए.जे.एल. को दिए गए कर्ज की वसूली नहीं, बल्कि ए.जे.एल. को पुनः पटरी पर लाने की है।**
- **ज्ञातव्य है कि ईडी ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी कम्पनी “यंग इंडियन” के मार्फत 90 करोड़ रुपए के कर्ज के एवज में ए.जे.एल. की सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।**

स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रही है।
चीमा ने यह जवाब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में पेश किया।
ईंडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोवा और निजी कंपनी यंग इंडियन पर 2,000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों धोखे से अधिग्रहित करने का आरोप लगाया है। ये संपत्तियाँ एजेएल की थीं, जो नेशनल हैरल्ड अखबार प्रकाशित करता था।
चीमा ने अदालत में संवाल उठाया: “क्या मेरे मित्र (ईडी के वकील) बता सकते हैं कि उन्होंने एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) पेश करने से परहेज क्यों किया?”
उन्होंने बताया, “एजेएल की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा समाप्त हुई

धुवनेश्वर, 05 जुलाई। ओड़ीशा के पुरी में शनिवार को भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा का भव्य समापन हुआ।

इस अवसर पर आध्यात्मिक उत्साह से सराबोर लाखों श्रद्धालु आज भगवान जगन्नाथ की ‘बाहुदा यात्रा’

■ **भगवान जगन्नाथ अपने भाई -बहिन के साथ गुंडिचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर लौट गए हैं। इस अवसर पर लाखों भक्तगण मौजूद थे।**

(वापसी रथ उत्सव) देखने के लिए तीर्थ नगरी पुरी में उमड़ पड़े।
भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथों को भक्तों द्वारा खींचा गया, जिससे पूरा भव्य मार्ग जय जगन्नाथ के नारों और झांझ की थाप के बीच गुंज उठा।
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सड़क हादसे में 36 अमरनाथ तीर्थयात्री घायल

जम्मू, 05 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में चंद्रकोट के निकट शनिवार को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए वाहनों के काफिले की चार बसों की आपस में टक्कर होने से कम से कम 36 तीर्थयात्री घायल हो गये।
अधिकारियों ने बताया कि यह टक्कर तब हुई जब काफिले में शामिल बसों में से एक के चालक ने चंद्रकोट

■ **रामबन जिले में उस समय अमरनाथ यात्रियों के चार बसें आपस में टकरा गईं जब एक बस का ब्रेक फेल हो गया।**

के निकट ब्रेक फेल होने के कारण वाहन का नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में कम से कम 36 लोग घायल हो गये।

उन्होंने कहा कि पुलिस, अर्धसैनिक बल और स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया तथा घायलों को अस्पताल पहुँचाया। सभी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

24 जून को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, ग्यारह दस्तावेज़ जरूरी होंगे, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए

यह निर्देश उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 05 जुलाई। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में स्पेशल इन्टेन्सिव रिविजन (एस.आई.आर.) करने का निर्देश जारी किया था, कथित रूप से अपात्र नामों को हटाने और बूजेश पाठक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि “हर खरीदार को यह जानने का अधिकार है कि वह किससे सामान

खुनाव आयोग ने 24 जून और 30 जून को जारी दो बयानों में इस रिविजन (पुनरीक्षण) के पीछे के कारण बताए गए हैं: “विदेशी अवैध प्रवासियों के नामों का सूची में होना,” “बार-बार का पलायन,” “युवाओं का मतदान के योग्य होना,” और “मृत्यु की रिपोर्ट न होना।”
हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये 11 दस्तावेजों की सूची केवल एक उदाहरण है इसका मतलब यह नहीं कि केवल यही दस्तावेज़ मान्य हैं, अगर किसी के पास इनमें से कोई दस्तावेज़ नहीं है तो भी वो अन्य दस्तावेज़ दिखाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि भारत का जन प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1950 यह अधिकार निर्वाचक

- **बिहार में ऐसे कुल मतदाता 2.93 करोड़ हैं।**
- **बिहार की प्रशासनिक काम करने की रफ्तार से नये मतदाता काफी आशंकित हैं कि क्या वे समय रहते ये ग्यारह दस्तावेज़ सरकार से प्राप्त कर पायेंगे।**
- **इसी आशंका के कारण वोटर लिस्ट रिविज़न को “वोट बंदी” का नाम दिया गया है. सोशल मीडिया में अनुसार, 2016 में सरकार ने अलोकप्रिय “नोट बंदी” लागू की थी तथा कोविड की बाद स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से भारत में स्वयमेव “देश बंदी” लागू हुई थी।**

नामावली अधिकारियों (ई.आर.ओ.) को देता है कि वे तय करें कि कौन मतदाता सूची में शामिल किया जाए। चुनाव आयोग सिर्फ दिशानिर्देश जारी

व्यक्ति के आवेदन से संतुष्ट होना चाहिए, यानी उसे भरोसा हो जाना चाहिए कि आवेदक भारतीय नागरिक है और मतदान के योग्य है। आयोग ई.आर.ओ. को यह नहीं कह सकता कि सिर्फ यही दस्तावेज़ मान्य होंगे, अन्य प्रमाण भी मान्य हो सकते हैं। अगर वे ई.आर.ओ. को संतुष्ट करते हैं। लेकिन वास्तविकता में बिहार के सामाजिक-आर्थिक हालात को देखते हुए आम लोगों के लिए ये दस्तावेज़ जुटाना लगभग असंभव है।
दस्तावेजों में शामिल है: सरकारी कर्मचारी/पेंशनधारकों का पहचान पत्र: बिहार जाति सर्वे 2022 के अनुसार केवल 20.49 लाख लोग सरकारी सेवा में हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.57 प्रतिशत है।
01.07.1987 से पहले भारत

कर सकता है, लेकिन यह तय करना कि कौन से दस्तावेज़ मान्य होंगे, यह अधिकार ई.आर.ओ. के पास है।
इसलिए, ई.आर.ओ. को किसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CM K

CM K